न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2025/203
मुकदमा नम्बर 47/2025

दर्ज दिनांक– 21.04.2025

मोहम्मद पुत्र गुलाब जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 2 डुण्डलोद, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री संदीप कुमार सैनी,
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 02.06.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम डुण्डलोद की सरहद में भूमि खाता सं. नया 3 पुराना 79 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 11 रकबा 1.38 है0,खसरा नं. 13 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम मो.अली पुत्र गुलाब के स्थान पर मोहम्मद पुत्र गुलाब दर्ज व दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट कमांक 7807 दिनांक 15.05.2025 पेश की गई। तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाही गई दुरूस्ती की जाना उचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डुण्डलोद की सरहद में भूमि खाता सं. नया 3 पुराना 79 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 11 रकबा 1.38 है0,खसरा नं. 13 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.55 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम मो.अली पुत्र गुलाब के स्थान पर मोहम्मद पुत्र गुलाब दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू